



Neutral Citation No. - 2026:AHC:42330-DB

आदेश सुरक्षित : 05.02.2026

आदेश पारित : 25.02.2026

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 3353 वर्ष 1984

प्रताप सिंह और अन्य

.....अपीलकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थागण

अपीलकर्तागण के अधिवक्ता

: अमित कुमार श्रीवास्तव, मानवेंद्र सिंह, आर.बी.

सहाय, संतोष कुमार निगम

प्रत्यर्थागण के अधिवक्ता

: डी.जी.ए., हरीश चंद्र यादव

चैम्बर में:

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ,

माननीय न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय,

(न्यायमूर्ति सिद्धार्थ द्वारा प्रदत्त)

1. श्री अमित कुमार श्रीवास्तव और श्री मानवेंद्र सिंह, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता; और श्री पवन कुमार श्रीवास्तव, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए., को सुना गया; विचारण न्यायालय के अभिलेख और विचारण न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया।

2. यह आपराधिक अपील, अपर सत्र न्यायाधीश, फतेहपुर द्वारा एस. टी. सं. 419/1983 में दिनांक 03.12.1984 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध दायर की गई है। इस निर्णय में अपीलकर्ताओं को भा.दं.सं. की धारा 302/34 के तहत, और अपीलकर्ता संख्या 2 को भा.दं.सं. की

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



धारा 404 के अंतर्गत दोषी ठहराते हुए, आजीवन कारावास और 3 वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। सभी सज़ाओं को एक साथ चलने का निर्देश दिया गया है।

3. उपर्युक्त अपील प्रताप सिंह (महाबीर सिंह के पुत्र), टंकू सिंह (प्रताप सिंह के पुत्र), मुचाई सिंह उर्फ बचाऊ सिंह (प्रताप सिंह के पुत्र), और मुन्ना सिंह (प्रताप सिंह के पुत्र) द्वारा दायर की गई है। इस अपील के लंबित रहने के दौरान, अपीलकर्ता संख्या 1, प्रताप सिंह (महाबीर सिंह के पुत्र), का निधन हो गया है; अतः उनके विरुद्ध अपील को **उपशमित** मानते हुए **खारिज** कर दिया गया है। अब इस अपील पर सुनवाई केवल शेष बचे अपीलकर्ताओं संख्या 2, 3 और 4—अर्थात् टंकू सिंह, मुचाई सिंह और मुन्ना सिंह—के संबंध में ही की गई है।

4. संक्षेप में कहें तो, शिकायतकर्ता श्रीमती मुन्नी देवी द्वारा लिखित एफ.आई.आर. (प्रदर्श क-1) में अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि घटना के दिन शाम लगभग 06:00 बजे, जब वह अपने बच्चे को गोद में लेकर अपने घर के दरवाज़े के सामने बैठी थीं और उनके देवर, बंगा सिंह उर्फ शिव शरण सिंह, भैंस का दूध निकालने की तैयारी कर रहे थे, तभी अभियुक्त प्रताप सिंह, टंकू सिंह और मुन्ना सिंह (जो लाठियों से लैस थे) और मुचाई सिंह उर्फ बचाऊ सिंह (जो पिस्तौल से लैस था) वहाँ आ गए। लाठियाँ लिए हुए लोगों ने बंगा सिंह पर अपनी लाठियों से हमला करना शुरू कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप वह ज़मीन पर गिर पड़े और फिर मुचाई सिंह ने उन पर पिस्तौल से गोली चला दी। इसी बीच, गवाह सांवले सिंह, मुल्लू (बढ़ई), दीना (नाई), महावीर (लोध) और बचाऊ सिंह वहाँ आ गए, क्योंकि वे मुल्लू (बढ़ई) के छप्पर के नीचे बैठे थे, और बचन सिंह (जो उनके रिश्तेदार थे) उनके घर के अंदर बैठे थे। उन्होंने अभियुक्तगण को ललकारा, जिस पर अभियुक्त टंकू सिंह मुन्नी देवी के घर के अंदर चला गया और वहाँ से उसके देवर की लाइसेंसी बंदूक और कारतूसों की बेल्ट उठा ली; इसके बाद, वे सभी उत्तर दिशा की ओर भागते हुए वहाँ से चले गए और उन्हें पकड़ा नहीं जा सका। घायल बंगा सिंह की मौके पर ही मृत्यु हो गई। उसकी हत्या अभियुक्तगण के साथ पुरानी दुश्मनी के कारण की गई थी।

5. घटना के बाद, शिकायतकर्ता ने काशी सिंह के ज़रिए एफ.आई.आर. लिखवाई और उसे गाँव के चौकीदार कुबेर (पी.डब्ल्यू. 5) के ज़रिए पुलिस स्टेशन भिजवा दिया। हेड कांस्टेबल, रियाजुल हक (पी.डब्ल्यू. 8) ने इस लिखित एफ.आई.आर. के आधार पर चिक रिपोर्ट और जी.डी. रिपोर्ट (प्रदर्श-का. 2 और का-3) तैयार की। इस मामले की विवेचना उपनिरीक्षक श्री बंशीलाल सविता (पी.डब्ल्यू.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



10) को सौंपी गई, जिन्होंने पुलिस स्टेशन से कागज़ात मिलने के तुरंत बाद मामले की विवेचना शुरू कर दी। वह रात में ही घटनास्थल के लिए रवाना हो गए और लगभग 12 बजे वहाँ पहुँच गए। उन्होंने पाया कि मृतक का शव शिकायतकर्ता के घर के सामने पड़ा हुआ था। लेकिन बारिश और रोशनी न होने के कारण, वह रात में तुरंत अपना काम शुरू नहीं कर सके और सुबह होने पर ही वह अपना काम शुरू कर पाए। कांस्टेबल, मोहम्मद हारून और राम बहादुर सिंह भी उनसे वहीं मिले। 5.8.83 को, उन्होंने शव की पंचायतनामा, चालान और फ़ोटो तैयार की, साथ ही आर.आई. और सी.एम.ओ. को पत्र लिखे। उन्होंने सीलबंद शव को ज़रूरी कागज़ातों के साथ कांस्टेबल मोहम्मद हारून और चौकीदार कुबेर को सौंप दिया, ताकि उसे आगे की कार्यवाही के लिए मुर्दाघर भेजा जा सके। इसके बाद, उन्होंने श्रीमती मुन्नी देवी से पूछताछ की और घटनास्थल का मुआयना किया। उन्होंने अलग-अलग डिब्बों में नमूने और खून लगी मिट्टी बरामद की, और फर्द बरामदगी (प्रदर्श. का.13 और का.14) तैयार किया। साथ ही, घटनास्थल का मुआयना करने के बाद उन्होंने घटनास्थल का नक्शा-नजरी (प्रदर्श. का.15) भी तैयार किया। इसके बाद, उन्होंने गवाहों—बचन सिंह, साँवले, महावीर और दीना—से पूछताछ किया। बाद में, एक और उपनिरीक्षक भी घटनास्थल पर पहुँचे, जिन्होंने मुआयना करने के बाद पुलिस स्टेशन वापसी किया उन्होंने (विवेचना अधिकारी ने) उन्हें (दूसरे उपनिरीक्षक को) केस से जुड़ी चीज़ें पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए सौंप दीं। अभियुक्त नहीं मिल पाए। उन्होंने राम करण उर्फ कल्लू और अन्य गवाहों से भी पूछताछ की। 07.08.1983 को उन्होंने फिर से अभियुक्तगण की तलाश की, लेकिन वे नहीं मिले। 10.08.1983 को उन्हें न्यायालय में अभियुक्तों के आत्मसमर्पण के बारे में पता चला, इसलिए उन्होंने 12.08.1983 को जेल में उनसे पूछताछ की और विवेचना पूरी होने के बाद, उन्होंने प्रदर्श-का.16 के माध्यम से अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने गवाहों—मल्लू, साँवले, महावीर, दीना, बचन सिंह और राम करण—के बयानों को भी प्रदर्श-का 17 से का.22 के माध्यम से सिद्ध किया है।

6. डॉ. बी.के. माथुर, पी.डब्ल्यू.-11, जो उस समय ज़िला अस्पताल, फतेहपुर में मेडिकल ऑफिसर थे, ने 06.08.1983 को शाम लगभग 04:15 बजे मृतक बंगा सिंह के शव का पोस्टमॉर्टम किया। उन्होंने पाया कि मृतक की उम्र लगभग 38 वर्ष थी और उसके ऊपरी और निचले, दोनों अंगों से अकड़न खत्म हो चुकी थी। पेट फूला हुआ था और दोनों कानों से खून बह रहा था।

7. डॉक्टर को मृतक के शरीर पर ये चोटें मिलीं:-

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(i) मुंह के कोने से 2 इंच नीचे $3" \times 1/4" \times 1-1/2$ आकार का गहरा घाव ।

(ii) भौंह के ऊपर $2-1/2" \times 1/2 \times 1$ आकार का गहरा घाव।

(iii) बाईं भौंह के ऊपर $2" \times 1/4" \times 1-1/2$ आकार का घाव।

(iv) बाईं कोहनी के जोड़ से $2-1/2$ इंच नीचे $5" \times 2"$ के दायरे में अलग-अलग आकार के कई गहरे घाव।

(v) दाईं कोहनी के जोड़ से 6 इंच नीचे दाईं बांह पर $3" \times 1/4"$ आकार की खरोंच/चोट ।

(vi) दाईं कलाई के जोड़ से $1/2$ इंच ऊपर दाईं बांह के पिछले हिस्से पर $2" \times 1 \times$ हड्डी तक गहरा घाव; अलना हड्डी के निचले सिरे में फ्रैक्चर।

(vii) बाएं कंधे के ऊपरी हिस्से पर $2-1/2" \times 1"$ आकार की खरोंच/चोट।

8. अंदरूनी जाँच करने पर डॉक्टर ने पाया कि सिर की ऊपरी हड्डी और खोपड़ी की सामने वाली हड्डी टूटी हुई थी। दिमाग पिघल चुका था। बाईं ओर की दूसरी, तीसरी और चौथी पसलियाँ, और दाईं ओर की दूसरी और तीसरी पसलियाँ टूटी हुई थीं। फेफड़ों की झिल्ली फटी हुई थी। स्वर-यंत्र और श्वास-नली दोनों में खून जमा हुआ था। थायरॉइड हड्डी टूटी हुई थी। दिल खाली था। ग्रसनी बाहर निकली हुई थी और उसमें सूजन थी। पेट, बड़ी आँत और छोटी आँत खाली थीं। मूत्राशय आधा खाली था।

9. उन्होंने अपनी पोस्टमार्टम जाँच रिपोर्ट को प्रदर्श का.23 के ज़रिए साबित किया है। डॉक्टर की राय में, मृतक की मौत 4.8.1983 को शाम लगभग 6:00 बजे हुई होगी, और यह मौत उसे लगी चोटों के कारण हुए सदमे और अत्यधिक रक्तस्राव की वजह से हुई थी। आरोप मिलने के बाद, सी.जे.एम., फतेहपुर ने 29.09.1983 को अभियुक्तगण को भा.दं.सं. की धारा 302/380 के तहत विचारण चलाने के लिए सत्र न्यायालय में सुपुर्द कर दिया गया। 10.05.1984 को, न्यायालय ने अभियुक्तगण के खिलाफ ऊपर बताए गए आरोप तय किए, और उन्हें हिंदी में पढ़कर सुनाए और समझाए; लेकिन उन्होंने खुद को निर्दोष बताया और विचारण चलाए जाने की माँग किया।

10. दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत अपने बयान में, अभियुक्तगण ने कहा कि आपसी दुश्मनी के कारण उन्हें इस वाद में झूठा फँसाया गया है। अभियुक्त, मुचाई सिंह ने आगे कहा कि मृतक का

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



चरित्र खराब था, इसलिए हो सकता है कि रात में किसी और ने उसकी हत्या कर दी हो, और दुश्मनी के चलते उन्हें इस वाद में झूठा फँसाया गया है।

11. अभियुक्तगण का दोष साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने मुन्नू (पी.डब्ल्यू. -1), साँवले सिंह (पी.डब्ल्यू. -2), महावीर (पी.डब्ल्यू. -3), दीना (पी.डब्ल्यू. -4), कुबेर चौकीदार (पी.डब्ल्यू. -5), बचन सिंह (पी.डब्ल्यू. -6), और श्रीमती मुन्नी देवी (पी.डब्ल्यू. -7), श्री रियाजुल हक, हेड कांस्टेबल (पी.डब्ल्यू. -8), राम करण उर्फ कल्लू (पी.डब्ल्यू. -9), श्री बंशीलाल सविता, उपनिरीक्षक (पी.डब्ल्यू. -10) और डॉ. बी.के. माथुर, मेडिकल ऑफिसर (पी.डब्ल्यू. -11); जबकि अभियुक्तों ने अपने बचाव में किसी भी गवाह को परीक्षित नहीं किया।

12. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह दलील दी है कि अपीलकर्ताओं को इस मामले में पी.डब्ल्यू. -7, श्रीमती मुन्नी देवी के पति, यानी राम सरन सिंह उर्फ चिट्टू की हत्या के संबंध में एक झूठे मकसद के आधार पर फँसाया गया था। उपरोक्त विचारण में, टंकू सिंह और बचन सिंह पर मुकदमा चलाया गया और एस. टी. सं. 497/1981 में उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। उन्होंने दलील दी है कि 12.10.1982 को सत्र न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त दोषसिद्धि के निर्णय के खिलाफ, इस न्यायालय में आपराधिक अपील सं. 2625 वर्ष 1982 दायर की गई थी, जिसे 14.05.2025 को इस न्यायालय की एक समान खण्ड पीठ ने स्वीकार कर लिया था। उन्होंने दलील दी है कि पी.डब्ल्यू. -7 के पति की हत्या के संबंध में अभियोजन पक्ष का मामला इस न्यायालय द्वारा 'उचित संदेह से परे' साबित नहीं पाया गया था, और इसलिए, इस मामले में अपीलकर्ताओं पर लगाए गए अपराध के मकसद में कोई दम नहीं है। उन्होंने आगे दलील दी है कि एफ.आई.आर. में ये आरोप हैं कि अपीलकर्ता, मुचाई सिंह ने मृतक को घातक गोली का घाव पहुंचाया, जबकि दूसरे अभियुक्त अपीलकर्ता ने उस पर लाठियों से हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई; लेकिन पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर, पी.डब्ल्यू. -11 को मृतक के शरीर पर गोली का कोई घाव नहीं मिला। उसके शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर केवल लाठियों से बने फटे और चोट के घाव थे। उन्होंने आगे दलील दी है कि जब विवेचना अधिकारी घटना स्थल पर गया, तो उसे वहां कोई 'मचिया' (स्टूल) या 'बटुई' (बर्तन) नहीं मिला, जबकि आरोप यह था कि जब वह मचिया पर बैठकर भैंस का दूध निकालने की तैयारी कर रहा था, तभी अपीलकर्ताओं ने उस पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी। इसलिए, अभियोजन पक्ष का मामला झूठा है। मृतक स्वयं एक अपराधी था, और पी.डब्ल्यू. -7 ने यह स्वीकार किया था कि "अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एक मामले में चालान पेश किया गया था। यह दलील दी गई है कि यह डकैती का मामला है, जिसमें अज्ञात डकैतों ने मृतक की हत्या कर दी और लूटपाट के इरादे से उसके घर से उसकी बंदूक और गोलियां ले गए। अपीलकर्ताओं—टुनकू और बाचाऊ—की पी.डब्ल्यू. -7 के साथ पुरानी दुश्मनी (पी.डब्ल्यू. -7 के पति की हत्या के कारण) की वजह से, उसने इस मामले में अपीलकर्ताओं को झूठा फंसा दिया।

13. विद्वान ए.जी.ए. ने इन दलीलों का ज़ोरदार विरोध किया है और कहा है कि यह तथ्य कि अपीलकर्ताओं, टंकू और बचाऊ सिंह की अपील को इस न्यायालय की एक अन्य समान पीठ ने स्वीकार कर लिया है, इस अपील में भी अपीलकर्ताओं को बरी करने का आधार नहीं हो सकता। उन्होंने कहा है कि उक्त अपीलकर्ताओं को इस न्यायालय द्वारा पिछली अपील में केवल 'संदेह का लाभ' दिया गया था, न कि बरी करने का कोई स्पष्ट आदेश। उन्होंने आगे कहा कि पी.डब्ल्यू. -7 ने यह साबित किया कि मृतक बंगा सिंह—जो उसका देवर और उसके दिवंगत पति का सगा भाई था—अपने पति राम सरन सिंह उर्फ चिट्ठू के हत्या के मुकदमे की पैरवी कर रहा था। इसलिए, अपीलकर्ता उससे द्वेष रखते थे और उसे रास्ते से हटाने का उनके पास कारण था, ताकि हत्या के मुकदमे की पैरवी रुक जाए। यह भी कहा गया है कि मुचाई सिंह द्वारा कथित तौर पर पहुंचाई गई आग्नेयास्त्र की चोट का न होना मात्र, अभियोजन पक्ष के पूरे मामले को अविश्वसनीय मानने का आधार नहीं हो सकता। घटनास्थल पर मचिया (स्टूल) और बटुई (बर्तन) का न मिलना, घटना पर अविश्वास करने का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि पी.डब्ल्यू. -10, जो पुलिस चौकी के इंचार्ज थे, घटना के अगले दिन सुबह ही घटनास्थल पर पहुंच गए थे। उन्होंने घटनास्थल से एक खाली कारतूस बरामद किया और एक फर्द बरामदगी भी तैयार किया। रात में बारिश हुई थी और इसलिए, रात के समय घटनास्थल के साथ छेड़छाड़ हो सकती थी, जहाँ घटना के बाद कई लोग आए हो सकते हैं। मृतक का शव पूरी रात घटनास्थल पर ही पड़ा रहा। उन्होंने यह दलील दी है कि अभियोजन पक्ष, अपीलकर्ताओं के खिलाफ अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है और इसलिए, विचारण न्यायालय के निर्णय और आदेश की पुष्टि की जानी चाहिए।

14. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और विचारण न्यायालय के अभिलेख में मौजूद सामग्री का अध्ययन करने के बाद, हम पाते हैं कि यह एक ऐसे मामले से संबंधित है जिसमें एक युवक की उसके घर के सामने और उसकी भाभी (पी.डब्ल्यू. 7) की मौजूदगी में नृशंस हत्या की गई थी।

हालाँकि, अपीलकर्ताओं के पास मृतक की हत्या करने का कोई स्पष्ट मकसद नहीं बताया गया है, “अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



लेकिन यह स्पष्ट है कि पी.डब्ल्यू. -7 के पति की हत्या के मामले में, अपीलकर्ताओं - टंकू सिंह और मुचाई सिंह उर्फ बचाऊ सिंह - पर उसके पति की हत्या का मुकदमा चलाया गया था। गवाहों के बयानों से यह बात सामने आई है कि मृतक, बंगा, अपने भाई की हत्या के मामले की पैरवी कर रहा था और इसलिए, अपीलकर्ताओं के पास मृतक, बंगा सिंह की हत्या करने का एक स्पष्ट मकसद मौजूद था। अभियोजन पक्ष के गवाहों ने यह स्वीकार किया है कि बंगा सिंह, पी.डब्ल्यू. -7 के साथ उसी घर में रहता था जहाँ उसकी हत्या की गई थी। घटना के प्रत्यक्षदर्शी अभियोजन गवाहों ने, अपीलकर्ताओं के लिए बताए गए अपराध के मकसद का समर्थन किया है।

15. इस मामले में पी.डब्ल्यू. -1 मुल्लू, पी.डब्ल्यू. -2 सांवले, पी.डब्ल्यू. -3 महावीर, पी.डब्ल्यू. -4 दीना और पी.डब्ल्यू. -6 बचन सिंह को 'होस्टाइल' (विरोधी गवाह) घोषित कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया; लेकिन पी.डब्ल्यू. -7 श्रीमती मुन्नी देवी, जो शिकायतकर्ता थीं, ने अभियोजन पक्ष के मामले को पूरी तरह से साबित कर दिया।

16. पी.डब्ल्यू. -7 ने न्यायालय के सामने अपने बयान में कहा कि जो अपीलकर्ता अभी जीवित हैं, वे मृतक अपीलकर्ता प्रताप सिंह के सगे भाई और बेटे हैं। बंगा सिंह की हत्या से तीन साल पहले, उनके पति की हत्या बचाऊ सिंह और टंकू सिंह ने की थी। उन पर मुकदमा चला और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। उस मामले की पैरवी मृतक बंगा सिंह कर रहे थे। उनके पति की हत्या के बाद, अभियुक्तगण की उनसे और बंगा सिंह से दुश्मनी हो गई। हमें पी.डब्ल्यू. -7 के बयान में इस हद तक कुछ भी संदिग्ध नहीं लगता।

17. पी.डब्ल्यू. -7 ने आगे कहा कि बंगा सिंह की हत्या सावन के महीने में शाम लगभग 06:00 बजे हुई थी; वह दरवाज़े पर बैठी थीं और बंगा सिंह भैंस के नीचे बैठकर उसका दूध निकालने की तैयारी कर रहे थे। उस समय, भुल्लू बढई के छप्पर के नीचे महादेव लोध, सांवले, दीना नाई और महावीर बैठे हुए थे। उनके ननदोई (पति के बहनोई) बचन सिंह भी वहीं बैठे थे, तभी अपीलकर्ता प्रताप सिंह, टंकू सिंह और मुन्ना सिंह (जो लाठियों से लैस थे) और बचाऊ सिंह (जो एक देसी पिस्तौल से लैस था) बंगा सिंह के पास उस जगह पहुँच गए, जहाँ वह भैंस का दूध निकालने की तैयारी कर रहे थे। जिस जगह बंगा मौजूद थे, वहाँ पहुँचने पर अपीलकर्ता प्रताप सिंह ने टंकू को उकसाया कि वह बंगा को मार डाले (जो उस समय अकेला था); इसके बाद लाठियों से लैस तीनों अभियुक्तगण ने बंगा सिंह को पीटना शुरू कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप वह ज़मीन पर गिर

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



पड़े। ज़मीन पर गिरने के बाद, उन्हें लाठियों से 2-4 बार और पीटा गया, और उसके बाद बचाऊ सिंह ने अपनी देसी पिस्तौल से उन पर गोली चला दी। पी.डब्ल्यू. -7 ने शोर मचाया और फिर, बचन सिंह, सांवले सिंह, भुल्लू बढई, महावीर लोध और दीना नाई, बंगा सिंह को बचाने के लिए दौड़ पड़े। जब उसने शोर मचाया, तो बचाऊ सिंह ने उसे जान से मारने की धमकी दी कि अगर उसने आवाज़ की, तो वह उसे मार देगा। उसने आगे बताया कि बंगा सिंह को पीटने के बाद, टंकू सिंह उसके घर के अंदर घुस गया और बंगा की लाइसेंसी बंदूक, साथ में 20 कारतूसों वाली बेल्ट भी ले गया। गवाहों ने अभियुक्तगण को ललकारा, लेकिन डर के मारे उनका पीछा नहीं किया। इस बीच बंगा सिंह की मौत हो चुकी थी; उसके कपड़ों से खून बह रहा था और ज़मीन पर भी खून फैला हुआ था। उसने आगे बताया कि उसने अपने घर के अंदर ही अपने जीजा, काशी सिंह से रिपोर्ट लिखवाई। उसने न्यायालय के सामने रिपोर्ट की बातों को सही साबित किया और बताया कि उसने चौकीदार (पी.डब्ल्यू. -5) के ज़रिए रिपोर्ट पुलिस थाने भिजवाई। वह अपनी साइकिल से पुलिस थाने गया। उसके बाद, चिउलाहा पुलिस चौकी से एक सिपाही आया। इंस्पेक्टर रात को 12-1 बजे के बीच घटनास्थल पर पहुँचा, लेकिन उसने कोई बयान दर्ज नहीं किया। सुबह उसने लाश का पंचनामा करवाया और लाश को सील करके पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। इंस्पेक्टर ने घटनास्थल से खून लगी मिट्टी और खाली कारतूस इकट्ठा किए। घटना के बाद, अभियुक्तगण के डर से वह अपनी ननद के साथ जगतपुर में रहने लगी। गाँव अमिलिहापाल में उसकी 20-24 बीघा ज़मीन है।

18. जिरह के दौरान, पी.डब्ल्यू. -7 ने बताया कि मृतक पर गैंगस्टर एक्ट के तहत एक मामले में चालान हुआ था। उसने इस बात से इनकार किया कि मृतक ने पुलिस के साथ मिलीभगत करके भुल्लू और महाराज का पुलिस एनकाउंटर करवाया था। उसने इस बात की जानकारी होने से इनकार किया कि मृतक उक्त मामले में गवाह था। उसने इस बात से इनकार किया कि उसके पति की रामबीर से दोस्ती थी, जो एक अपराधी है। उसने स्वीकार किया कि घटना से पहले, मृतक का अभियुक्तगण के साथ कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ था। अभियुक्तगण के साथ दुश्मनी के अलावा, उसकी उनके खिलाफ कोई और शिकायत नहीं थी। उसने इंस्पेक्टर को घटना वाली जगह वैसी ही दिखाई, जैसी वह घटना के समय थी। बंगा सिंह अपनी हत्या होने से पहले न तो खड़ा हो पाया और न ही भाग पाया। मृतक मचिया (स्टूल) से दो हाथ की दूरी पर गिरा था। ज़मीन कीचड़ वाली थी और घटना के समय बारिश नहीं हो रही थी। आधे घंटे बाद बारिश शुरू

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



हुई और पूरी रात जारी रही। मृतक ने लाठियों के वार से खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। उसके ज़मीन पर गिरने के बाद, उस पर देसी पिस्तौल से गोली चलाई गई। यह गोली 10-12 कदम की दूरी से चलाई गई थी। यह गोली उसके शरीर की तरफ चलाई गई थी, लेकिन वह उसके शरीर पर लगी या नहीं, यह उसे याद नहीं है। अभियुक्तगण ने खड़े होकर मृतक पर गोली चलाई थी। गोली चलने के बाद लाठियों के वार बंद हो गए थे। घटना वाली जगह पर मौजूद गवाहों में से कोई भी, जैसे भुल्लू बढई आदि, तब तक उसके दरवाज़े पर नहीं आया, जब तक अभियुक्त वहाँ मौजूद थे। उसने बताया कि अपीलकर्ता टंकू सिंह द्वारा ले जाई गई बंदूक का लाइसेंस खो गया था। उसने बताया कि जब इंस्पेक्टर आया, तब भी उसी जगह पर बंधी हुई थी। उसने स्वीकार किया कि मृतक के शव के साथ गाँव से मुर्दाघर तक कोई भी व्यक्ति नहीं गया, बल्कि केवल एक कांस्टेबल और चौकीदार ही उसके साथ गए थे।

19. पी.डब्ल्यू. -7 के ऊपर बताए गए बयान से हमें पता चलता है कि उन्होंने घटना का स्वाभाविक और सजीव ब्योरा दिया है। न्यायालय के सामने दिए गए उनके बयान पर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। यह एक स्थापित कानूनी सिद्धांत है कि आपराधिक मुकदमों में सबूतों की मात्रा नहीं, बल्कि उनकी गुणवत्ता मायने रखती है। पी.डब्ल्यू. -7 के बयान ने निचली न्यायालय का भरोसा जीता और इस न्यायालय का भरोसा भी जीतता है। पी.डब्ल्यू. -7 के पास अपीलकर्ताओं को झूठा फंसाने का कोई कारण नहीं था। अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि पुलिस ने किसी भी स्पष्ट कारण से अपीलकर्ताओं को इस मामले में झूठा फंसाया हो। मेडिकल सबूतों से यह साबित हुआ कि मृतक पर लाठियों से हमला किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक पर देसी पिस्तौल से गोली चलाई गई थी, क्योंकि घटनास्थल से खाली कारतूस बरामद हुए थे, लेकिन गोली मृतक को लगी नहीं। पी.डब्ल्यू. -7 ने साफ तौर पर कहा कि वह देख सकती थीं कि मृतक पर चलाई गई गोली उनके शरीर पर लगी थी या नहीं।

20. विवेचना अधिकारी को घटनास्थल से खून लगी मिट्टी और खाली कारतूस भी मिले। यह हत्या का एक मामला है जो अगस्त महीने में शाम 06:00 बजे हुआ था, और इसलिए, इस मामले में दृश्यता से जुड़ा कोई मुद्दा नहीं था। अभियुक्त-अपीलकर्ताओं, टंकू सिंह और बचाऊ सिंह को उनके पति की हत्या के मामले में बरी किया जाना, इस मामले में अपीलकर्ता को बरी करने का

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



आधार नहीं हो सकता। इस न्यायालय ने उन्हें केवल 'संदेह का लाभ' दिया है, न कि पूरी तरह से बरी किया है। पी.डब्ल्यू. -7 का बयान पूरी तरह से विश्वसनीय गवाह का बयान है, और उनका बयान निचली न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को दी गई सज़ा और दोषसिद्धि को बरकरार रखने के लिए पर्याप्त है। अपीलकर्ता सगे भाई हैं, और यह कहा जा सकता है कि मृतक की हत्या करने का उनका साझा इरादा था, क्योंकि उनमें से दो, यानी टंकू और बचाऊ, पी.डब्ल्यू. -7 के पति की हत्या के मामले में भी अभियुक्त थे।

21. हमें विचारण न्यायालय के निष्कर्षों में कोई कमी नहीं मिली और हम उन्हें यहाँ पुष्ट करते हैं। यह आपराधिक अपील गुणहीन है और इसे यहाँ खारिज किया जाता है। विचारण न्यायालय के निर्णय और आदेश की पुष्टि की जाती है।

22. अपीलकर्ता ज़मानत पर हैं। उनके ज़मानत बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं और ज़मानतदारों को उन्मोचित किया जाता है।

23. उन्हें तत्काल आत्मसमर्पण करने और शेष सज़ा पूरी करने का निर्देश दिया जाता है।

24. आपराधिक अपील **खारिज** की जाती है।

25. विचारण न्यायालय का अभिलेख लौटा दिया जाए और इस निर्णय की सूचना विचारण न्यायालय को दी जाए।

25 फरवरी, 2026

अभिषेक

(जय कृष्ण उपाध्याय, न्यायमूर्ति) (सिद्धार्थ, न्यायमूर्ति)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”